

नीमराना ॥ बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)



बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,

नई दिल्ली-110 016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. नीमराना ॥ बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत पारिषण लाइनों, उप-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	लाइन / सबस्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन की लंबाई */ क्षमता	वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क (आईएनआर) मिलियन प्रति वर्ष	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणी
1.	नीमराना-॥-बरेली (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन के साथ प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर  • नीर्मना-॥ एस/एस- 2 संख्या में 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर। • बरेली (पीजी) में 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नग। • नीर्मना-॥ एस/एस - 2 संख्या में 765 केवी 330 एमवीएआर	349.893 कि.मी	1945.62	प्रभावी तारीख से 24 महीने	 

	स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण। • बरेली (पीजी) एस/एस - 2 संख्या में 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण।				
2.	2 नं. नीमराना-॥ और बरेली (पीजी) एस/एस 765 केवी लाइन बे प्रत्येक में 765 केवी लाइन बे - 4 संख्या। (नीमराना-॥ और बरेली (पीजी) एस/एस में प्रत्येक में 2 नग)				

\*बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार

\*\* प्रभावी तिथि: 27.12.2023

- आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेब साइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के सी/ओ ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुडगांव 122001 में, श्री के के चौधरी, परियोजना प्रभारी, नीमराना ॥ बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग का कार्यालय के साथ भी किया जा सकता है।
- आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, पावरग्रिड की वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110 001 के समक्ष आपत्ति (ओं)/सुझाव (ओं) की एक प्रति के साथ दायर किया जाना चाहिए।



*(Signature)*  
के के चौधरी,  
परियोजना प्रभारी,  
नीमराना ॥ बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 27.12.2023